Hindi

FIREARMS AND KNIFE EDUCATION

हैम्पशायर कांस्टेबुलरी सभी व्यक्तियों का हमारे बहुसांस्कृतिक और वैविध्यपूर्ण समुदाय में स्वागत करती है। हम चाहते हैं कि युनाइटेड किंगडम में आपका रहना आनंददायक और यादगार हो। एक अच्छे नागरिक होते हुए और वैविध्यपूर्ण समुदाय जिसके आप सदस्य हैं, का आनंद लेते हुए कानून के दायरे में रहकर ऐसा किया जा सकता है।

इस पुस्तिका का उद्देश्य युनाइटेड किंगडम आने वाले छात्रों और आगन्तुकों को हमारे समुदाय के भीतर चाकू और बन्दूक रखने के संभावित खतरों को रेखांकित करना और उन्हें सूचित करना है।

हैम्पशायर कांस्टेबुलरी के पुलिस आग्नेयास्त्र अधिकारी जिन घटनाओं में जाते हैं उनमें से लगभग 70% घटनाओं में चाकू और कृत्रिम आग्नेयास्त्र शामिल होते हैं। किसी आग्नेयास्त्र संबंधी घटना पर एक घंटे की पुलिस कार्रवाई पर पुलिस द्वारा 27 घण्टे स्थानीय गश्त करने के बराबर खर्च आता है।

हमारे F.A.K.E 'Firearms And Knife Education' (आग्नेयास्त्र और चाकू संबंधी शिक्षा) अभियान के एक हिस्से के तौर पर, हम बन्दूक और चाकू दोनों से संबंधित घटनाओं को कम करने के लिए और उन्हें होने से पहले ही रोकने के लिए समुदायों के साथ सक्रिय रूप से काम रहे हैं।

हम जो बन्दूकें पकड़ते हैं उनमें से कुछ देखने में इतनी असली जैसी होती हैं कि किसी आग्नेयास्त्र अधिकारी तत्काल यह फैसला नहीं ले पाए कि क्या वे वास्तविक हैं। आग्नेयास्त्र अधिकारियों को बन्दूक संबंधी हर घटना पर यह मानकर कार्रवाई करनी पड़ती है कि हथियार असली है।

हैम्पशायर कांस्टेबुलरी पूरे हैम्पशायर और आइल ऑफ वाइट में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कोई कृत्रिम आग्नेयास्त्र, या कोई चाकू लेने या रखने के जोखिमों और परिणामों के बारे में एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहता है; खासतौर पर इसलिए चूंकि कानून अभी हाल ही में बदल गया है और अब सार्वजनिक स्थल पर प्रतिकृति या नकली आग्नेयास्त्र रखना गैरकानूनी है।

F.A.K.E (आग्नेयास्त्र और चाकू संबंधी शिक्षा) अभियान यह सुनिश्चित करने की एक दीर्घकालिक परियोजना है कि हमारे समुदाय रहने और काम करने के लिए सुरक्षित हों, जिसमें TFSU (Tactical Firearms Support Unit) के नेतृत्व में संपूर्ण हैम्पशायर कांस्टेबुलरी एक टीम के तौर पर काम कर रही है।

हैम्पशायर कांस्टेबुलरी अपराध और अपराध का भय कम करने और हमारे समुदायों को सभी के लिए सुरक्षित करने के लिए वचनबद्ध है।

निम्नलिखित जानकारी आपको सही चयन करने और सुरक्षित रहने और कानून के भीतर रहने में मदद देने के लिए है।

- 18 वर्ष या उससे कम आयु के किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का चाकू (कटलरी और रसोई के चाकू समेत) बेचना किसी भी दुकान के लिए गैरकानूनी है।
- बिना किसी तार्किक कारण या कानूनी स्वीकृति के सार्वजनिक रूप से चाकू रखना एक अपराध है।
- आत्मरक्षा के लिए चाकू रखना गैरकानूनी है।
- कोई भी ऐसी चीज, या वस्तु जिसका प्रयोग अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है, एक आक्रामक हथियार हो सकती है। किसी आक्रामक शस्त्र को अपने पास रखना गैरकानूनी है।
- किसी भी प्रकार के हथियार को स्कूल परिसरों में ले जाना गैरकानूनी है।
- एअर वेपन, हल्के एअर वेपन और बॉल बियरिंग बन्दूकों समेत, किसी आग्नेयास्त्र, या नकली आग्नेयास्त्र को सार्वजनिक स्थल पर लाना गैरकानूनी है।
- हिंसा का भय पैदा करने की मंशा से किसी आग्नेयास्त्र, या नकली आग्नेयास्त्र को रखना गैरकानूनी है।

यदि आप हैम्पशायर और आइल ऑफ वाइट की काउण्टियों में रहने के दौरान कोई जुर्म करते हैं, तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है, आपको जेल जाना पड़ सकता है।

कोई प्रतिकृति या कृत्रिम आग्नेयास्त्र एक वास्तविक बन्दूक की तरह दिखता है और महसूस होता है। इनमें अन्तर बताना लगभग असंभव होता है।

यदि आप सार्वजनिक रूप से कोई कृत्रिम आग्नेयास्त्र रखते हैं तो आप सशस्त्र पुलिस अधिकारी का सामना करने का जोखिम उठा रहे हैं।

यदि आप सार्वजनिक रूप से चाकू रखते हैं और डराने वाले ढंग से इसका प्रयोग करते हैं, तो आप सशस्त्र पुलिस अधिकारी का सामना करने का जोखिम उठा रहे हैं।

यदि आप किसी आपात स्थिति में हैं या आपको पुलिस, एंबुलेंस या अग्निशमन सेवा से मदद प्राप्त करने की आवश्यकता है तो आप युनाइटेड किंगडम में किसी भी स्थान से किसी भी फोन से, वर्ष में 365 दिन रोजाना 24 घंटे, 999 पर फोन कर सकते हैं।

यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके पास चाकू या बन्दूक है तो आप बिना अपना नाम बताए क्राइमस्टॉपर्स (CRIMESTOPPERS) को 0800 555 111 पर फोन कर सकते हैं।

यदि आपको किसी व्यक्ति के पास चाकू या बन्दूक होने का संदेह है तो आप उसका नाम और डाक कोड का क्षेत्र बताने के लिए 88551 पर संदेश भेज सकते हैं।

अतिरिक्त जानकारी और दिशानिर्देश इन जगहों से प्राप्त किये जा सकते हैं :

www.knifecrimes.org
www.crimereduction.homeoffice.gov.uk
www.gameover4knives.com
www.gunsandknivestakelives.com
www.fearandfashion.org.uk
www.gun-control-network.org
www.shadowcs.co.uk
www.crimestoppers.co.uk